संख्या: /1392429/12-2099/112/2021

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 02 अगस्त, 2021 ~~जुलाई, 2021~~

विषय: सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम ''कृषि अवसंरचना निधि'' योजना के माध्यम से कंवर्जेंस सहायता/डबटेल सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृषि विकास और उत्पादन की गति को अगले स्तर तक ले जाने के लिए ,कृषि अवसंरचना की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। फसलोपरान्त उसकी हैण्डलिंग, विधायन/मूल्य संवर्द्धन तथा विपणन से सम्बन्धित समस्त कार्यो को समय से क्रियान्वित करने पर ही किसान की आय में गुणात्मक रूप से वृद्धि सम्भव है।

2. कृषक एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'कृषि अवसंरचना निधि' (संलग्न) योजना लागू की गयी है। इस हेतु गठित स्टेट प्रोजेक्ट मेनेजमेन्ट यूनिट (एस0पी0एम0यू0) का मुख्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उत्तर प्रदेश, सहकारिता भवन, विधान सभा मार्ग, लखनऊ में स्थित है, जहॉ से योजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्राप्त किया जा सकता है।

3. योजना के अन्तर्गत फसलोपरान्त प्रबंन्धन योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित परियोजनओं को सहायता प्रदान की जाती है:-

(i) ई-विपणन प्लेटफार्म सहित आपूर्ति श्रंखला सेवायें
(ii) वेयर हाउस
(iii) साइलोज
(iv) पैक हाउस
(v) जांच इकाईयॉ
(vi) छंटाई एवं ग्रेडिंग इकाईयॉ
(vii) शीत श्रंखला
(viii) लॉजेस्टिक सुविधायें
(ix) प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र
(x) पकाई केन्द्र

4. योजना में सामुदायिक खेती परिसम्पत्ति के निर्माण के लिए निम्नलिखित व्यवहार्य परियोजनाओं की स्थापना हेतु भी सहायता प्रदान की जाती है:-

(i) जैविक इनपुट का उत्पादन इकाई

(ii) जैव उत्प्रेरक उत्पादन इकाई

(iii) सक्षम एवं सटीक कृषि के लिए अवसंरचना

(iv) निर्यात क्लस्टरों सहित फसलों के क्लस्टर के लिए आपूर्ति श्रंखला अवसंरचना प्रदान करने हेतु चिन्हित परियोजनायें

(v) पी0 पी0 पी0 के अन्तर्गत सामुदायिक कृषि सम्पतियों के निर्माण अथवा फसलोपरान्त प्रबन्धन परियोजनाओं हेतु केन्द्रीय/राज्य/स्थानीय सरकारों अथवा उनकी एजेन्सियों द्वारा प्रोत्साहित परियोजना

(vi) गोवर्द्धन योजना

5. योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित सुविधायें भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती हैं:-

(i) <u>ब्याज की छूट:</u> भारत सरकार द्वारा निर्धारित मान-दण्ड के अनुसार रूपये 2.00 करोड़ की सीमा तक ऋण पर तीन प्रतिशत ब्याज की छूट होगी। छूट की कुल अवधि 07 वर्ष (सात वर्ष) तक होगी। यदि ऋण की धनराशि रूपये 2.00 करोड़ से अधिक है, ऐसी स्थिति में ब्याज की छूट की सीमा रूपये 2.00 करोड़ ऋण के सापेक्ष ही मान्य होगी।

(ii) <u>ऋण गारन्टी की सुविधा:</u> योजनान्तर्गत रूपये 2.00 करोड़ तक के ऋण के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम योजना हेतु ऋण गारन्टी निधि संस्था के तहत इस वित्त पोषण सुविधा से पात्र ऋणकर्ताओं के लिए ऋण गारन्टी कवरेज उपलब्ध होगा। इस कवरेज के लिए शुल्क ए0 आई0 एफ0 योजनान्तर्गत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। एफ0 पी0 ओ0 के मामले में ऋण गारन्टी डी0 ए0 सी0 एण्ड एफ0 डब्लू0 के सम्बर्द्धन योजना-एफ0 पी0 ओ0 के तहत सृजित सुविधा से प्राप्त की जा सकती है।

6. प्रदेश में पूर्व से ही उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादक संगठन नीति-2020 लागू है। इस नीति के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को प्रदेश के किसानों के हित में प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने के उद्देश्य से समय-समय पर अन्य शासनादेश भी निर्गत किए गए हैं। विभाग द्वारा संचालित परियोजनाओं में इस नीति के अन्तर्गत गठित होने वाले फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों को प्राथमिकता पर आवश्यक लिंकेज उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें व्यवसाय के लिए चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर रूपये 5.00 लाख का कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में धान के अवशेष जलाने की घटनाओं के दृष्टिगत मा0 उच्चतम न्यायालय तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0 जी0 टी0) के आदेशों तथा भारत सरकार द्वारा प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन फार इन-सीट्र मैनेजमेंट ऑफ क्राप रेज्ड्यिू योजना हेतु जारी की गयी गाइड-लाइन के क्रम में, कृषक सहकारी समितियों/गन्ना समितियों/औद्यानिक समितियों/पंचायतों/ एफ0 पी0 ओ0 को फार्म मशीनरी बैंक स्थापना हेतु फसल अवशेष प्रबन्धन के यंत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में आदेश निर्गत किए जा चुके हैं। कृषि विभाग द्वारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (ऑयल सीड्स), ब्रिंगिग ग्रीन रेवोल्यूशन इन ईस्टर्न इण्डिया (बी0 जी0 आर0 ई0 आई0), कृषि रक्षा उपकरण तथा एग्री जंक्शन योजना के क्रियान्वयन हेतु आदेश निर्गत किए जा चुके हैं।

7. वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पूर्व में निर्गत किए गए समस्त आदेशों के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही विभिन्न विभागीय योजनाओं में, किसानों/कृषक सहकारी समितियों/गन्ना समितियों/औद्यानिक समितियों/ग्राम पंचायतों/फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों को दी जाने वाली वित्त

File No. 12-2099/112/2021-2-

वित्तीय सुविधाओं को सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम "कृषि अवसंरचना निधि" योजना के माध्यम से कंवर्जेंस सहायता/डबटेल कर योजना का लाभ लाभार्थियों को प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न: यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: /2021/1392429(1)/12-2099/112/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन,
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग/चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग/ उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग/पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
3. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
4. प्रबंध निदेशक, यू0पी0स्टेट एग्रो इण्ड्रस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ,
5. संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
6. समस्त उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश,
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

02/8/2021

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।